<u>विभागीय वेबसाइट में प्रसारण हेतु</u>

(उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिल इकाईयों के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वैधानिक आडिट एवं टैक्स आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्तियों हेतु विज्ञप्ति)

उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिल इकाईयों एवं उससे सम्बद्ध डिस्टलरी(यदि कोई हो तो) के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वैधानिक आडिट एवं टैक्स आडिट कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के आवेदन पत्र निम्नवत् आमंत्रित किये जाते है :–

- केवल पार्टनरशिप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का सी.ए.जी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। नवीनतम् सी.ए.जी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न हो।
- आवेदन पत्र के साथ यह वचन–पत्र(Undertaking) संलग्न किया जायेगा कि संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के किसी भी पार्टनर का कोई सगा–संबंधी या रिश्तेदार लेखापरीक्षित इकाई चीनी मिल में नहीं है।
- आवेदन पत्र के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का संक्षिप्त प्रोफाइल जिसमें पार्टनरों की संख्या व विवरण, पूर्व में विभिन्न राजकीय व अर्द्धराजकीय संस्थाओं में किये गये आडिट कार्यों का विवरण, मुख्यालय का पता, ईमेल आई.डी. आदि का सम्पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिये।
- आडिट फीस का भुगतान संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वैधानिक आडिट का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्परीक्षित बैलेन्सशीट हानि–लाभ का ब्यौरा सक्षम स्तर को उपलब्ध कराने तथा टैक्स आडिट रिपार्ट आयकर विभाग को ऑन–लाइन प्रेषित करने के उपरान्त **<u>विभाग द्वारा निर्धारित फीस</u>** के अनुसार किया जायेगा, जो संबंधित फर्म को मान्य होगा।
- इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा अपना आवेदन प्रपत्र/प्रोफाइल **"वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, 17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ"** को डाक/वाहक द्वारा **<u>दिनांक 25–03–2022</u>** तक उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त किसी आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आडिट कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का चयन निबन्धक/विभाग के स्तर पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 1572-73 **तद्दिनांकित।** 11/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रशासनिक अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट व अन्य विभागीय Social Networking Page पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त विज्ञप्ति को संघ की वेबसाइट पर अपलोड/जारी कराने का कष्ट करें।

(वित्त नियंत्रक)
कृते आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक
सहकारी चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

विभागीय वेबसाइट में प्रसारण हेतु

(उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिल इकाईयों के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वैधानिक आडिट एवं टैक्स आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्तियों हेतु विज्ञप्ति)

उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिल इकाईयों एवं उससे सम्बद्ध डिस्टलरी(यदि कोई हो तो) के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वैधानिक आडिट एवं टैक्स आडिट कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के आवेदन पत्र निम्नवत् आमंत्रित किये जाते है :–

- केवल पार्टनरशिप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का सी.ए.जी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। नवीनतम् सी.ए.जी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न हो।
- आवेदन पत्र के साथ यह वचन–पत्र(Undertaking) संलग्न किया जायेगा कि संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के किसी भी पार्टनर का कोई सगा–संबंधी या रिश्तेदार लेखापरीक्षित इकाई चीनी मिल में नहीं है।
- आवेदन पत्र के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का संक्षिप्त प्रोफाइल जिसमें पार्टनरों की संख्या व विवरण, पूर्व में विभिन्न राजकीय व अर्द्धराजकीय संस्थाओं में किये गये आडिट कार्यों का विवरण, मुख्यालय का पता, ईमेल आई.डी. आदि का सम्पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिये।
- आडिट फीस का भुगतान संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वैधानिक आडिट का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्परीक्षित बैलेन्सशीट हानि–लाभ का ब्यौरा सक्षम स्तर को उपलब्ध कराने तथा टैक्स आडिट रिपार्ट आयकर विभाग को ऑन–लाइन प्रेषित करने के उपरान्त **विभाग द्वारा निर्धारित फीस** के अनुसार किया जायेगा, जो संबंधित फर्म को मान्य होगा।
- इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा अपना आवेदन प्रपत्र/प्रोफाइल **"वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, 17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ"** को डाक/वाहक द्वारा **दिनांक 25–03–2022** तक उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त किसी आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आडिट कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का चयन निबन्धक/विभाग के स्तर पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 1572-73 **तद्दिनांकित।** 11/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रशासनिक अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट व अन्य विभागीय Social Networking Page पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त विज्ञप्ति को संघ की वेबसाइट पर अपलोड/जारी कराने का कष्ट करें।

(वित्त नियंत्रक)
कृते आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक
सहकारी चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।